न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 131/2024(GCMS : 2024/192)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्र्टड कार्यालय आईआईएफल हाउस, सन इंफोटेक पार्क, रोड़ नं 16वी, प्लान नं. बी–23, थाने इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, थाने– 400604 (महाराष्ट्र) व शाखा कार्यालय : विनायक हाईटस, चतुर्थ फ्लोर, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर–302021(राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार पराशर

बनाम

1. **Mr. Subhan Khan,** R/o Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan – 335804
2. **Mrs. Naziya Bano ,** R/o Ward No. 04, Indra Circle, Durga Mandir Ke pichhe, Suratgarh , Sri Ganganagar District Rajasthan – 335804 **also at** Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan – 335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहंदीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुभान खान एवं नाजिया बानों को ऋण सुविधा के रूप में 12,55,814/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.01.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 15.04.2024 को 12,83,490/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थीगण सुभान खान एव नाजिया बानो द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति** Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan – 335804 (admeasuring area 1003 Sq. ft.) का कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सुभान खान एवं नाजिया बानो** को ऋण सुविधा के रूप में 12,55,814/— रूपये **(अखये रूपये बारह लाख पच्चपन हजार आठ सौ चौदह मात्र) की स्वीकृति दिनांक 25.01.2013 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण सुभान खान एवं नाजिया बानो ने अपनी अचल सम्पत्ति Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan – 335804 (admeasuring area 1003 Sq. ft.), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan – 335804 (admeasuring area 1003 Sq. ft.), जो

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.04.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.04.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.04.2024 को भिजवाये गये थे, जिसके प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों सुभान खान एवं नाजिया बानो द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेंस का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणियों **सुभान खान एवं नाजिया बानो द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल संपत्ति** Plot of land aarising out of Patta No. 60, Ward No. 8, Devnagar, Suratgarh, Tehsil Suratgarh, Sri Ganganagar District, Rajasthan 335804 (admeasuring area 1003 Sq. ft.), **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested